न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 39/2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00355

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सुर्य प्रकाश कल्ला पुत्र श्री जेठमल जी कला, जाति पुष्करणा ब्राह्मण, निवासी 3 अ 19, चौपासनी हाऊसिंग, पहले पुलिये के पास, जोधपुर (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारी तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28/7/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार रोहट के आदेश दिनांक 10.03.2011 को राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1362/2011 सरकार बनाम सुर्यप्रकाश में पारित निर्णय को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 44/2011 दर्ज कर अपील बाद सुनवाई खारिज दिनांक 21.02.2018 को की गई थी तथा उसकी अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 10/2013 सूर्यप्रकाश बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 30.11.2016 के इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर प्रकरण संख्या 39/2019 पुनः इस न्यायालय में दर्ज किया गया उभयपक्ष को तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील आराजी अपीलांट की खरीदसुदा आवासीय भूमी है उक्त भूमी का सर्वप्रथम ग्राम पंचायत रोहट द्वारा पट्टा संख्या 2449 प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 26.6.2004 के आधार पर लीला देवी पत्नी स्वरूपराम जाति जटिया निवासी रोहट के पक्ष में जारी किया गया अपीलांट द्वारा उक्त भूमी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 03.6.2008 के क्रय की है एवं तब से अपीलांट बतौर खरीददार उक्त आवासीय भूमी का उपयोग, उपभोग कर रहा है। तथा उक्त भूमी के चारों तरफ परकोटा बना रखा है। उक्त भूमी के आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टा बाबत एक पंचायत निगरानी इसी न्यायालय से निगरानी क्रमांक 61/2017 दर्ज हुई थी जिसमें निर्णय दिनांक 15.7.2019 के द्वारा पट्टा संख्या 2449 जो ग्राम पंचायत रोहट की मिसल संख्या 64/2003–2004 प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 25.6.2004 की पालना में जारी पट्टे यथावत रखा गया था। उक्त भूमी को सरकारी सिवायचक भूमी नहीं माना गया था एवं आवासीय भूमी मानते हुए पट्टा 2449 ग्राम पंचायत रोहट को यथावत रखा गया था ऐसी स्थिति में बेदखली के आदेश पारित किय जाना विधिसम्मत नहीं है क्योंकि ऐसा करना एक ही न्यायालय द्वारा अलग–अलग मत अनुसार पृथक से बदेखली करने बाबत विरोधाभाषी निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त भूमी उद्योग विभाग की है तो उक्त विभाग ही भूमी रिक्त कराने का दावा सक्षम न्यायालय में ला सकता है इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है इस न्यायालय द्वारा एक ही प्रकरण में अलग–अलग फाईन्डिंग देना भी विधिसम्मत नहीं है उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:17 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण सरकारी भूमी में किया है इसलिए तहसीलदार [illegible] की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपीलार्थी निर्णय [illegible] रखा जावे।

बहस सुनी गई। [illegible] किया गया उक्त [illegible] में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णयानुसार निम्नानुसार [illegible]णीय बिन्दु है :–

1. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।

क्रमश..........2

जिला कलेक्टर, पाली

2. ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया वह नजूल आबादी भूमी में जारी किया गया अथवा नहीं।
3. तहसीलदार रोहट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करना विधि अनुरूप है या विधिविरूद्ध।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 103 के (Sub clause) क में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 7 सरकारी भूमियां है तथा उसके Sub clause ख में आबादी भूमी किस प्रकार की भूमी को माना है इस का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार ही सरकारी विभाग की भूमी को राजकीय भूमी माना गया है तथा इस संदर्भ में तहसीलदार रोहट उक्त राजकीय भूमी से किसी भी कब्जाधारी को बेदखल करने में सक्षम है। इस प्रकार तहसीलदार रोहट ने उक्त बेदखली कार्यवाही की जो विधीसम्मत है। एवं तहसीलदार बेदखली की कार्यवाही करने में नियमानुसार सक्षम है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रोहट द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही भी उनके क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाना न्यायोचित नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 140 के अनुसार "आबादी भूमि से किसी पंचायत सर्किल के बसे हुए क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाली नजूल भूमि अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के किसी आदेश के द्वारा या अधीन किसी पंचायत में निहित हो या निहित की गई हो या उसके निर्वर्तनाधीन रखी गई हो।" इस प्रकार पंचायत नूजूल आबादी भूमी में ही विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार रखती है। यदि यह प्रमाणित हो कि पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पट्टा जारी किया है जो राजकीय/सिवायचक भूमी पर है तो इसमें तहसीलदार नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही करने में सक्षम है। ग्राम पंचायत अथवा अन्य अधिकारी/उद्योग विभाग को नियमानुसार पट्टा को भी चुनौती देकर खारिज कराना चाहिए परंतु उसमें तहसीलदार द्वारा निर्णित प्रकरण में कोई विधिक भूल या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 1362/2011 सरकार बनाम सूर्यप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 10.3.2011 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:17 IST
Reason: SelfAttested